रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 142] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 1970/भाद्र 4, 1892

No. 142] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 1970/BHADRA 4, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 26th August 1970

SUBJECT.—*Imports Policy for Registered Exporters for the year April, 1970—March, 1971 (Amendment No. 27).*

No. 124-ITC (PN)/70.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in Volume II of the Import Trade Control Policy Book (Red Book) for the year April, 1970—March, 1971 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice 48-ITC (PN)/70, dated 31-3-1970.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below:—

Page No. of the Red Book (Vol. II).	Reference	Amendments
26-27	Part B of Section I	The last sentence of this para may be substituted by the following:—
	Para 71	"Re-exports made in accordance with these provisions will be eligible for the import replanishment at the rate of 100% of the value minus foreign exchange costs of such re-exports of uncut diamonds including commissions etc., *i.e.* only against net receipt of foreign exchange after meeting all expenses of such re-export."
126	B. 56.3	The existing entry at (a) may be amended to read as follows :—
	Col. 4	"(a) Timbers (permissible types) in log form".
147-48	C.29.1	After the existing remarks at (8), the following may be inserted :—
	Col. 5	"(9) Against exports of products covered under C.29. (B) the import of the following may be followed:— (a) Teflon Shrink Fit Roll Covers. (b) Plastomatrix Moulding Material-Bakelite Sheets (c) Saran Coated Polyester Film. (d) Teflon Impregnated Glass Cloth."
187-188	L.3.1 and L.3.2	The existing entries at (iii) of L 3·1 and L.3·2 may be amended to read as follows :—
	Col. 4	"(iii) Salts of Dichlore Isocyanuric Acid."

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 26 अगस्त 1970

विषय.—अप्रैल 1970 से मार्च 1971 के लिए पजीकृत निर्यातको के लिए आयात नीति (संशोधन सख्या 27)।

सं० 124-आई० टी० सी० (पी० एम०)/70—अप्रैल 1970 से मार्च 1971 वर्ष के लिए पजीकृत निर्यातको के लिए आयात व्यापार नियत्रण नीति पुस्तक (रैड बुक) के वाल्यूम 2 में निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो विदेश व्यापार मत्रालय की सार्वजनिक सूचना सख्या 48–आई० टी० सी० (पी० एन०) /70, दिनाक 31 मार्च 1970 के अन्तर्गत जारी की गई थी ।

2. निम्नलिखित निर्दिष्ट उपयुक्त स्थलों में नीचे लिखे अनुसार संशोधन किए जाएं :—

रैड बुक (वाल्यूम 2) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
26—27	भाग बी का खंड 1 पारा 71	प्रस्तुत पैरा के अन्तिम वाक्य को निम्नलिखित द्वारा बदला जाए :— "इन व्यवस्था के अनुसार किए गए पुनर्निर्यात मूल्य के 100 प्रतिशत की दर से आयात पुनः पूर्ति के लिए उपयुक्त होगा इसमें से अपरिष्कृत हीरों के इस प्रकार पुनर्निर्यात और जिसमें कमीशन आदि भी शामिल है, विदेशी मुद्रा खर्चों को घटा दिया जाएगा अर्थात् यह केवल इस प्रकार के पुनर्निर्यात के सभी खर्चों को पूरा करने के बाद विदेशी मुद्रा की वास्तविक प्राप्ति के लिए होगा।"
126	बी. 56.3 कालम 4	वर्तमान प्रविष्टि (ए) को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाए:— "(ए) इमारती लकड़ी (स्वीकृत टाइपें) लाग शकल में"
147—48	सी. 29.1 कालम 5	वर्तमान टिप्पणी (8) के बाद निम्नलिखित जोड़े जाएं :— "(9) सी 29.1 (बी) के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद के निर्यात के विपरीत निम्नलिखित के आयात की स्वीकृति दी जाए :— (ए) टैफ लान श्रृंक फिट रोल क्वकन। (बी) प्लास्टोमेट्रिक्स मोल्डिंग सामग्री बेक्लाइट शीट्स। (सी सरन कोट्ड पोलिस्टर फिल्म। (डी) टैफलान इमप्रेगनेटिड ग्लास क्लाथ।"
187—188	एल. 3.1 तथा एल. 3.2 कालम 4	एल. 3.1 तथा एल. 3.2 की (iii) पर की वर्तमान प्रविष्टियों को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाए — "(iii) डिक्लोर आइसोसाईनुरिक एसिड के नमक।"

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1970.—March, 1971 (Amendment No. 28)*

No. 125-ITC (PN)/70.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in Volume II of the Import Trade Control Policy Book (Red Book) for the year April, 1970—March, 1971 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 48-ITC (PN)/70, dated 31-3-1970.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below :—

Page No. of the Red Book. (Vo .II)	Reference	Amendments
114	B.27·13 Col. 4	The existing entry at (r) may be amended to read as follows :— "() -11 Hexachlorophene."

3. The following items are classifiable under the product groups mentioned below and fall under the respective serial numbers shown against each :—

A. Engineering Goods

Zinc Die Casting Mini Toys A. 66·2

B. *Chemical and allied Products*

Chlorohydioxy—Quinoline B. 11·1

Lenses for spectacles made of glass, lenses-glass (all kinds) and spectacle lenses B. 46·6 & B. 46·1

4. The items mentioned in para 3 above may be inserted alphabetically at the appropriate places in the Index of the above Red Book under the Relevant product groups.

5. The entry "Kesavardhini....B. 27·6 appearing on page lxxiii of the Index of the above Red Book may be amended to read as "Kesavardhni....B.27·13"and the serial number mentioned against the entry "Kum Kum Powder" mentioned on the same page of the index may be amended to read as "B. 27·13".

विषय.—अप्रैल 1970–मार्च, 1971 के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन सं० 28) ।

सं० 125–आई० टी० सी० पी० एन०)/70.—अप्रैल 1970–मार्च 1971 के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रैड बुक) के वाल्यूम 2 में निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 48–आई० टी० सी० (पी० एन०)/० दिनांक, 31 मार्च, 1970 के अन्तर्गत जारी की गई थी ।

2. नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थलों में निम्नलिखित अनुसार संशोधन किए जाएं :—

रैड बुक (वाल्यूम 2) की पृष्ठ संख्या	सदर्भ	संशोधन
114	बी. 27.13 कालम 4	वर्तमान प्रविष्टि (आर) को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाय :— "(आर) जी–11 हेक्सेक्लोरोफीन ,"

3. निम्नलिखित मदें, जो नीचे दिए गए उत्पाद वर्ग के अन्तर्गत आती है, वर्गीकरणीय तथा उनके सामने बताई गई क्रम संख्या के अन्तर्गत आती हैं :—

ए० अयिंत्रण माल :

छोटे खिलौने ढालने का जस्ता ठप्पा ।	ए०-66. 2

बी० रसायन तथा सम्बद्ध उत्पादें:

क्लोरोहा इड्राक्सी—क्विनोलिन ।	बी०—11. 1
एनकों के लिए कांच से बने लेंस, लेंस—ग्लास (हर प्रकार के) तथा एनकों के लेंस ।	बी—46. 6 तथा बी०-46. 1

4. ऊपर के पैरा 3 में उल्लिखित मदों को उपर्युक्त रैड बुक के सूचक में सम्बद्ध उत्पाद वर्ग के अन्तर्गत उपर्युक्त स्थानों पर वर्णमाला के अनुसार रखा जाए ।

5. प्रविष्टि "केशवर्धनी. . . .बी० 27. 6 जोकि उपयुक्त रैड बुक के सूचक के पृष्ठ 73 में दिखाई गई है, उसे संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाए "केशवर्धनी बी० 27. 13 तथा सूचक के उसी पृष्ठ में प्रविष्टि "कुम कुम पाउडर" के विपरीत क्रम संख्या को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाए "बी० 27. 13" ।

SUBEJCT : *Import Policy for Registered Exporters for* 1970-71—*Procedure for registration of exporters* (*Amendment No.*)

No. 126-ITC (PN)/70—Attention is invited to paragraph 103 (2) in Chapter V and App. 4 Annxuere IIA of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure 1970, according to which Part II of the registration-*cum*-membership certificate was required to be filled in by the sponsoring authority concerned in the case of manufacturer-exporters.

2. As a measure of further simplification, it has been decided that in the case of DGTD units the applicants will not be required to approach the DGTD for completion of Part II of the registration-*cum*-membership certificate. Instead the applicant will himself fill in Part II the registration number/factory number allotted to his unit by the DGTD. The description of goods manufactured by the applicant unit will be filled in by the registering authorities, ramely the Export Promotion Council/Commodity Boards with reference to the information available in the Hand Book of Indigenous Manufacturers published by the DGTD. In case the registering authority has any doubt in any particular case or the line of manufacture of the applicant unit is not mentioned in the Hand Book of Indigenous Manufacturers the registering authority will take up the matter with the DGTD for ascertaining the manufacturing activities of the concerned unit.

3. The existing Part II of the registration-*cum*-membership certificate, therefore, stands substituted by revised Part II (copy in App. I). So far as the D.G.T.D. Units are concerned the procedure for issue of registration-*cum*-membership certificate as appearing in App. 4. Annexure IIA of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure 1970 is also revised. The manufacturer exporter will fill in registration-*cum*-membership certificate form in duplicate and submit it along with his application for registration direct to the registering authority. The registering authority will fill in Part II and Part III of the certificate and return the original to the exporter and will retain the duplicate for their record.

4. In the case of units registered with the Director of Industries, the present procedure embodied in the Hand Book of Rules and Procedure will continue.

APPENDIX I

PART II

1. Registration No./Factory No. allotted by the Sponsoring Authority. (To be filled in by the applicant).

Signature of the applicant.

2. Description of goods manufactured.

(To be filled in by the Registering Authority in the case of DGTD units and Sponsoring Authority in the case of other units).

Signature of the Registering Authority/ Sponsoring Authority.

Name in Block Letters

Designation

Seal

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports and Exports.

सं० 126 आई० टी० सी० (पी० ए०)/70.—आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा कार्यविधि के हैंडबुक, 1970 के अध्याय 5 में पैरा 103 (2) तथा परिशिष्ट 4 के अनुबन्ध—2—ए की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार विनिर्माता निर्यातों के मामले में, पंजीकरण व सदस्यता प्रमाण-पत्र का भाग 2 सम्बन्धित उत्तरदायी प्राधिकारी द्वारा संपूरित किया जाना अपेक्षित था ।

2. इसे और सुगम बनाने के विचार से यह निश्चय किया गया है कि डी० जी० टी० डी० के एककों के मामले में आवेदकों के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वे पंजीकरण व सदस्यता प्रमाण-पत्र के भाग—1 की पूर्ति के लिए डी०जी०टी०डी० को प्रार्थना करें । अपितु, आवेदक स्वयं डी०जी०टी०डी० द्वारा उसके एकक को दी गई पजीकरण संख्या/फैक्ट्री संख्या को स्वयं भाग-1 में भरेगा । डी०जी०टी०डी० द्वारा छपी देशी विनिर्माता के हैंड बुक में उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में पंजीयक प्राधिकारियों, जैसे निर्यात प्रगति समिति/पण्य वस्तु बोर्ड द्वारा आवेदक एकक द्वारा निर्मित माल का ब्यौरा संपूरित किया जाएगा । यदि पंजीयक प्राधिकारी को किसी विशेष मामले में सदेह है अथवा आवेदक एकक के विनिर्माण की लाइन देशी विनिर्माता की हैंड बुक में वर्णित नहीं है, तो पंजीयक प्राधिकारी सम्बन्धित एकक की विनिर्माण कार्यकलापों का निश्चय करने के लिए मामले को डी०जी०-टी०डी० के साथ उठाएगा ।

3. इसलिए वर्तमान पंजीकरण व सदस्यता प्रमाण-पत्र का भाग—2, परिशोधित भाग 2 द्वारा विस्थापित होता है (प्रति परिशिष्ट—1 में) । जहां तक डी०जी०टी०डी० एककों का सम्बन्ध है, पंजीकरण व सदस्यता प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यविधि जैसा कि आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा कार्यविधि हैंड बुक 1970 के परिशिष्ट—4 अनुबन्ध—2—ए में बताई गई है, उसे भी परिशोधित किया जाता है । विनिर्माता निर्यातक पंजीकरण व सदस्यता प्रमाण-पत्र के दो प्रपत्र भरेगा और उन्हें अपने आवेदन-पत्र के साथ पंजीकरण के लिए सीधे पंजीयक प्राधिकारी को भेजेगा । पंजीयक प्राधिकारी प्रमाण-पत्र के भाग 2 तथा भाग 3 को भरेगा और मूल प्रतियां निर्यातक को लौटा देगा और अनुलिपि प्रतियां रिकार्ड के लिए अपने पास रख लेगा ।

4. उद्योग-निदेशक से पंजीकृत एककों के मामले में, नियम तथा कार्यविधि हैंड बुक में निहित वर्तमान कार्यविधि जारी रहेगी ।

परिशिष्ट 1

भाग—2

1. उत्तरदायी प्राधिकारी द्वारा नियत की गई पंजीकरण सं० । फैक्ट्री संख्या (आवेदक द्वारा संपूरित की जानी है)

आवेदक के हस्ताक्षर

2. निर्मित माल का विवरण (डी०जी०टी०डी० एकक के मामले में पंजीयक प्राधिकारी द्वारा संपूरित किया जाना है तथा अन्य एककों के मामले में, उत्तरदायी प्राधिकारी द्वारा)

पंजीयक प्राधिकारी/उत्तरदायी प्राधिकारी
के हस्ताक्षर ।
बड़े अक्षरों में नाम
पद
मुहर

आर० जे० रवैलो,
मुख्य नियंत्रक, आयात व निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970